



प्रेस नोट जनपद फतेहपुर

दिनांक 07.11.2024

पुलिस मुठभेड़

गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीटर गौकशी से संबंधित शांति अपराधी थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत औगासी रोड़ पर स्थित महुआ की बाग बहद ग्राम देवलान के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिंदा कारतूस, 01 राशि गौवंश, व गौकशी से संबंधित उपकरण- 01 अदद कुल्हाड़ी, 02 अदद चापड़, 04 अदद छुरी, 01 अदद लकड़ी का ठिहा, व 02 बंडल काली पन्नी, 2200 रूपये नगद बरामद।

**संक्षिप्त विवरण-** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल महोदय, जनपद फतेहपुर के द्वारा अपराध व अपराधियों व टाप टेन अपराधियों तथा माफियाओं व वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद फतेहपुर के निकट पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी जाफरगंज फतेहपुर के कुशल निर्देशन में थाना गाजीपुर व थाना ललौली की पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 07.11.2024 को थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत चकस्करन में चेकिंग व दबिश दी जा रही थी कि थानाध्यक्ष गाजीपुर को जरिये मुखबिर सूचना मिली की औगासी रोड़ महुआ की बगिया में कुछ लोग गौकशी करने वाले है इस सूचना पर दोनो थानों की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल महुआ के बाग वहद ग्राम देवलान पहुंचकर घेराबंदी कर आत्म समर्पण हेतु कहा गया तो दो अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पर लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त हसीन पुत्र नसीम उम्र 39 वर्ष निवासी कसौड़ा सात आना कस्बा ललौली थाना ललौली जनपद फतेहपुर के बायें पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से घायल हो गया, व दुसरा अभियुक्त गुलाम हैदर उर्फ मुन्ना पुत्र जिकरुउल्ला निवासी मो0 शेखान थाना व कस्बा ललौली रात्रि का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। घायल को तत्काल पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल सीएचसी गाजीपुर ले जाया गया, अभियुक्तगण शांति किस्म के गौवध से संबंधित अपराधी है थाना ललौली के मूल निवासी है व दोनों मजारिया हिस्ट्रीशीटर है। घायल के विरुद्ध विभिन्न थानो पर पाँच से अधिक मुकदमें पंजीकृत है इसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिंदा कारतूस, 01 राशि गौवंश, 01 अदद कुल्हाड़ी, 02 अदद चापड़, 04 अदद छुरी, 01 अदद लकड़ी का ठिहा, 02 बंडल काली पन्नी, व 2200 रूपये नगद बरामद किये गये। इसकी गिरफ्तारी से अपराध व अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

**घायल /गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:--**

हसीन पुत्र नसीम उम्र 39 वर्ष निवासी कसौड़ा सात आना कस्बा ललौली थाना ललौली जनपद फतेहपुर (घायल) कुल अभियोग-(5), हिस्ट्रीशीटर 263B थाना ललौली

**फरार अभियुक्त का नाम पता-**

गुलाम हैदर उर्फ मुन्ना पुत्र जिकरुउल्ला निवासी मो0 शेखान थाना व कस्बा ललौली कुल अभियोग-(9)

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
4. 01 राशि गौवंश
5. गौकशी से संबंधित उपकरण- 01 अदद कुल्हाड़ी, 02 अदद चापड़, 04 अदद छुरी, 01 अदद लकड़ी का ठिहा, व 02 बंडल काली पन्नी
6. 2200 रूपये नगद

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त--**

1.हसीन पुत्र नसीम उम्र 39 वर्ष निवासी कसौड़ा कस्बा ललौली थाना ललौली जनपद फतेहपुर

1. मु0अ0सं0 242/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ललौली जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 283/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ललौली जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 355/2016 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ललौली जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 163/2006 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना ललौली जनपद फतेहपुर

**1. गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गाजीपुर-**

1. थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार मौर्य थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 अरविंद मौर्य,
3. उ0नि0 सावन पटेल,
4. उ0नि0 हिमांशु सिंह,
5. का0 बाबी,
6. का0 मानवेंद्र,
7. का0 पंकज यादव,
8. का0 ललित मिश्रा,
9. का0 चंद्रशेखर,
10. हे0 का0 वेद मणि ओझा

**2. गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना ललौली-**

1. थानाध्यक्ष वृंदावन राय थाना ललौली जनपद फतेहपुर,
2. उ0नि0 सुमित,
3. का0 रामकुमार,
4. का0 कौशल,
5. का0 नितिन,
6. का0 शिव प्रताप,